न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1950/2026

CNR N0.UPBR01-006533-2026

सनोज वर्मा पुत्र छोटे लाल,
निवासी ग्राम दलीपुर, थाना भमौरा, बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 156/2026
धारा–105, 61(2) बी0एन0एस0
थाना–भमौरा, जिला बरेली।

दिनांक 06.06.2026

1. थाना भमौरा, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 156/2026, धारा–105, 61(2) बी0एन0एस0 में आवेदक/अभियुक्त **सनोज वर्मा** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फॅसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, जिस कारण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जो साक्षी दिखाये गये है, वे हितबद्ध साक्षीगण है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। दौरान विवेचना आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त चन्द्रपाल के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। आवेदक का घटना में कोई विशिष्ट रोल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। घटनास्थल के आसपास आवेदक का खेत नहीं है। आवेदक का खेत घटनास्थल से काफी देरी पर है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

3. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होना आवश्यक नही है। दौरान विवेचना भी साक्ष्य के आधार पर नाम प्रकाश में आ सकता है। वर्तमान मामलें में दौरान विवेचना इस तथ्य के साक्ष्य स्पष्ट रूप से आयी है कि जिस विद्युत प्रवाह के कारण मृतक की मृत्यु हुई, वह विद्युत प्रवाह आवेदक के विद्युत संयोजन से ही प्रवाहित किया जा रहा है। आवेदक की अग्रिम जमानत निरस्त हो चुकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

4. जबाब उल बहस में आवेदका की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक एक माह से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक ने कोई भी विद्युत प्रवाह की आपूर्ति नहीं की है। दौरान विवेचना कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। पारिवारिक रंजिश में जानबूझकर अनावश्यक फॅसा दिया गया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाए।

5. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2026 की सुबह 6.30 बजे वादिनी का पति रिंकू अपने घर गांव में ही खेत पर वादिनी व चाची उर्मिला तीनों जा रहे थे। गांव में ही खेत के पास पति रिंकू पहुँचे वैसे ही खेत में लगे आरा वाले तारों से

पति का पैर लग गया और खेत में लगे तारों में उक्त खेत के वटाईदार चन्द्रपाल ने तारों में घरेलू विद्युत लाईन का करन्ट तारों के माध्यम से जोड़ रखा था, जिस कारण वादिनी के पति को वही खेत पर जोर से करन्ट लग गया। वादिनी व उसकी चाची ने पति को बचाने की कोशिश की लेकिन वादिनी का पति करन्ट से नहीं बच पाया, जिस कारण वादिनी के पति की मौके पर करन्ट लगने से मौत हो गयी। जिसकी सूचना तत्काल 112 को दे दी गयी और पुलिस द्वारा वादिनी के पति का पी.एम. कराया गया।

7. दौरान विवेचना संकलित शव परीक्षण आख्या के अनुसार शरीर में विद्युत का प्रवेश घाव वायीं तरफ पीठ में पीछे की और पेट पर 9 सेमी. X 1.5 सेमी., दूसरा विद्युत करंट का प्रवेश घाव पहली चोट से 1.5 सेमी. नीचे 10 सेमी. व 1 सेमी. आकार का और तीसरा विद्युत करंट निकास घाव के इंडेक्स फिंगर के आधार पर 2.5 सेमी. X 2 सेमी. का पाया गया शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक की मृत्य विद्युत करंट के कारण सदमा पहुॅचने से हुई है।

8. दौरान विवेचना साक्षी ओमेन्द्र पुत्र धनपाल का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें यह कथन अंकित है कि शोर पर वह घटनास्थल पर पहुॅचा है और चन्द्रपाल पुत्र सियाराम के खेतों में बिजली का तार सनोज पुत्र छोटे लाल के घर की तरफ से लगा हुआ देखा था और दौड़कर प्लास लाकर तार काटा था।

9. यह तथ्य विचारणीय है कि आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त हो चुका है।

10. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त कारित अपराध एवं अपराध के संदर्भ में साक्षीगण द्वारा अभिकथित आवेदक की भूमिका के तथ्य के दृष्टिगत यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदक की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक **सनोज वर्मा** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।
आदेश की एक प्रति रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 06.06.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.06 17:29:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court